Witness No **5** For **अभियोजन साक्षी** Deposition taken the **03/03/2023** day of **शुक्रवार** Witness's apparent age **37 वर्ष** State of affirmation **शपथपूर्वक** My Name is **मनीष सिंह परिहार** Son/Wife of **श्री एस.बी. सिंह** Occupation **निरीक्षक थाना प्रभारी** Address **थाना चांपा जिला जांजगीर चांपा (छ.ग.)**

CRIMINAL CASE 1597/2022

State of Chhattisgarh Vs durgesh Nai @ Motu

Time 01:40 to 01:50

01– मैं नवंबर 2021 से थाना चांपा में निरीक्षक थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ हूं। पदस्थापना के दौरान दिनांक 22–12–2021 को गस्त के दौरान आरोपी दुर्गेश नाई उर्फ मोटू पिता शंभू नाई उम्र 32 साल निवासी वार्ड नं. 15 छोपड़ा पारा संदिग्ध हालत में मिलने पर उसे पकड़कर थाना लेकर आया एवं गवाह सुनील यादव एवं रामशंकर धीवर को धारा 160 दंप्रसं का नोटिस देकर उनके समक्ष पूछताछ करने पर चांपा, अकलतरा, जांजगीर, पामगढ़ , बलौदा, शिवरीनारायण, बलौदाबाजार भांठापारा में अनेक स्थानों पर चोरी करना बताया तथा चोरी किये गये सामानों को अलग अलग तोड़ मरोड़कर गोला बनाकर बिजुरी जिला अनुपपुर म.प्र. में अपनी बहन गुड़ीबाई उर्फ उषा नाई के मकान की पीछे गाड़कर रखना बताया तथा ताला तोड़ने में प्रयुक्त औजार को अपने पास रखना एवं बरामद करा देना बताया। उसने प्रकरण के संबंध में मेमोरेण्डम कथन में **प्र.पी 1** के द से द भाग का अंश ''मैं वर्तमान में ––––––––––पकड़ा गया हू'' का कथन दिया था जो **प्र.पी 1** है जिसके इ से इ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं। जिस औजार से ताला को तोड़ता हूं उसे लेकर चोरी करने घूम रहा था पकड़ा गया हूं, तथा ब से ब भाग का अंश पेश करता हूं चलो चलकर बरामद करा देता हूं का मेमोरेण्डम कथन **प्र.पी. 1** दिया था जिसके इ से इ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

02– दिनांक 22–12–2021 को थाना चांपा में आरोपी दुर्गेश नाई के पेश करने दो नग लोहे का तोड़ने का औजार (कटौनी), एक नग पेंचकस जिसका मुंठ प्लास्टिक का बना हुआ, एक नग लोहे का तोता पाना गवाहों के समक्ष जप्त किया था जप्ती पत्रक **प्र.पी 7** है जिसके अ से अ भाग पर मेरे हस्ताक्षर हैं।

03– दिनांक 22–12–2021 को समय रात्रि 12:05 बजे रात्रि गस्त पर रवाना होने का रवानगी सान्हा क्र. 47 में दर्ज कर रवाना हुआ था जिसे मूल प्रकरण अप.क्र. 344/21 थाना चांपा

के प्रकरण में रवानगी सान्हा को संलग्न किया गया है आज मूल सान्हा को लेकर न्यायालय उपस्थित हुआ हूं जिसे उक्त प्रकरण में **प्र.पी 13** से चिन्हांकित किया गया है।

04– दिनांक 22–12–2021 को समय रात्रि 03:30 बजे रात्रि गस्त पर वापस होने का वापसी सान्हा क्र. 48 में दर्ज कर वापस हुआ था जिसे मूल प्रकरण अप.क्र. 344/21 थाना चांपा के प्रकरण में वापसी सान्हा को संलग्न किया गया है आज मूल सान्हा को लेकर न्यायालय उपस्थित हुआ हूं जिसे उक्त प्रकरण में **प्र.पी 14** से चिन्हांकित किया गया है।

05– आरोपी के मेमोरेण्डम कथन के आधार पर हमराह स्टाफ के आरोपी से माल बरामदगी हेतु बिजुरी अनुपपुर म.प्र. दिनांक 22–12–2021 को रवानगी सान्हा क्र. 4 में दर्ज कर रवाना हुआ था जिसे मूल प्रकरण अप.क्र. 344/21 थाना चांपा के प्रकरण में रवानगी सान्हा को संलग्न किया गया है आज मूल सान्हा को लेकर न्यायालय उपस्थित हुआ हूं जिसे उक्त प्रकरण में **प्र.पी 15** से चिन्हांकित किया गया है।

06– माल बरामदगी पश्चात आरोपी एवं माल को लेकर थाना वापस आया था दिनांक 23–12–2021 को वापसी सान्हा क्र. 47 में दर्ज कर वापस हुआ था जिसे मूल प्रकरण अप.क्र. 344/21 थाना चांपा के प्रकरण में वापसी सान्हा को संलग्न किया गया है आज मूल सान्हा को लेकर न्यायालय उपस्थित हुआ हूं जिसे उक्त प्रकरण में **प्र.पी 16** से चिन्हांकित किया गया है।

प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री योगेश सिंह राणा अधिवक्ता वास्ते आरोपी

07– यह कहना सही है कि मुझे रवानगी के समय किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के घुमने की सूचना प्राप्त नहीं हुयी थी। यह कहना गलत है कि मैंने वापसी में सान्हा क्र. 48 दिनांक 21–12–2021 में संदिग्ध का नाम दर्ज् नहीं किया है। यह कहना गलत है कि मैंने शहर पेट्रोलिंग से वापसी कर आरोपी दुर्गेश नाई को पकड़कर नहीं लाया था और न ही थाने में पूछताछ किये थे।

08– यह कहना सही है कि आरोपी को लेकर बिजुरी जिला अनुपपुर म.प्र. गया था तब संबंधित थाने में अपनी और पुलिस दल की कोई आमदगी दर्ज नहीं करायी थी। गवाह स्वतः कहता है कि दंप्रसं 167 के प्रावधान अनुसार निश्चित समय अवधि में यात्रा के समय को छोड़कर आरोपी को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया इसीलिए संबंधित थाने में सूचना देना आवश्यक नहीं था।

09– मैं आरोपी से पूछताछ थाने में किया था। यह कहना सही है कि मैंने जो जप्ती पत्रक प्र.पी 7 और मेमोरेण्डम मे जो गवाह बनाए है वह जप्ती स्थल चांपा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक या चुने

हुये जनप्रतिनिधि नहीं है। यह कहना गलत है कि मेमोरेण्डम एवं जप्ती में जो साक्षी है वह थाने के कर्मचारी है। यह कहना गलत है कि आरोपी से जप्ती पत्रक प्र.पी 7 में उल्लेखित प्रदर्शों की कोई जप्ती नहीं हुयी थी। यह कहना गलत है कि आरोपी से किसी प्रकार की कोई पूछताछ नहीं हुयी थी इसलिए मेमोरेण्डम एवं जप्ती पत्रक के जो साक्षी हैं लोकल चांपा शहर के निवासियों को नहीं बनाया है।

10– यह कहना गलत है कि जप्ती पत्रक में जो सामाग्रियों के जप्ती बनायी है वह बाजार में आसानी से मिल जाता है। स्वतः कहा कि सोने चांदी के सामान सोनार के दुकान में ही मिलते हैं। यह कहना सही है कि जप्ती करते समय मैंने उक्त धातुओ का परीक्षण नहीं किया था। यह कहना सही है कि जप्ती पत्रक मे जप्त की हुयी औजार विशिष्ट लोहा के दुकानो में बिना किसी लायसेंस के आम व्यक्ति खरीद सकता है।

11– यह कहना गलत है कि मैं अपने थाने में दर्ज चोरी के पेडिंग केसों को उच्चाधिकारियों के दवाब में निपटाने के लिए आरोपी पर झूठा प्रकरण बना दिया हूं।

वाचित स्वीकृत

(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)

JITENDRA KUMAR THAKUR
Digitally signed by JITENDRA KUMAR THAKUR

मेरे निर्देश पर टंकित

(जितेन्द्र कुमार ठाकुर)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
जांजगीर-चांपा (छ.ग.)